0542 – 2222689 (O)
0542 – 2223099 (R)

कुलसचिव

Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-२२१००२
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांकः–कु0स02सी–समिअ/7056–ए/(कार्य परि0बैठक–03–04)/16 दिनांकः– 31 मार्च, 2017

कार्य परिषद् की आपात बैठक दिनांक 27–03–2017 का कार्यवृत्त

कुलपति जी की अध्यक्षता में कार्य परिषद् की आपात बैठक दिनांक **27–03–2017** को **सायं 04:00** बजे **पंत प्रशासनिक भवन** स्थित **''डॉ0सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष''** में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1– डॉ0पृथ्वीश नाग, कुलपति	–अध्यक्ष
2– प्रो0सुरेन्द्र बहादुर सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय एवं वित्त अधिकारी	–सदस्य
3– प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–सदस्य
4– प्रो0उमारानी त्रिपाठी, संस्कृत विभाग	–सदस्य
5– प्रो0प्रदीप कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
6– प्रो0अशोक कुमार पाण्डेय, प्राचार्य, श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया	–सदस्य
7–डॉ0अखिलेश राम, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चन्दौली	–सदस्य
8–डॉ0सुरेन्द्र राम, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग	–सदस्य
9–डॉ0कुन्दन सिंह, एसो0प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग	–सदस्य
10–डॉ0सोहन लाल यादव, एसो0प्रोफेसर, श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी	–सदस्य
11–प्रो0नन्दलाल, राजनीति विज्ञान विभाग	–सदस्य
12–डॉ0राजेश पाल, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
13–प्रो0रेखा, समाजशास्त्र विभाग	–सदस्य
14–प्रो0भावना वर्मा, समाजकार्य विभाग	–सदस्य
15–डॉ0अंकिता गुप्ता, असि0प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग	–सदस्य
16–डॉ0नन्दिनी सिंह, असि0प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग	–सदस्य
17–कुलसचिव, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी	–सचिव

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. **(क)** विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः– परिषद् ने विचार–विमर्श के अनन्तर विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2017 के कार्यवृत्त को यथावत् अनुमोदित किया।

(ख) वित्त समिति की बैठक 18.03.2017 के अधोलिखित कार्यवृत्त एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अनुमोदन पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 18–03–2017 का कार्यवृत्त

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 1

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27–08–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

संस्तुति –

समिति ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27–08–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत हुयी।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 2

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पुनरीक्षित आय–व्ययक वर्ष 2016–2017 तथा अनुमानित आय–व्ययक वर्ष 2017–2018 के अनुमोदन पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पुनरीक्षित आय–व्ययक वर्ष 2016–2017 तथा अनुमानित आय–व्ययक वर्ष 2017–2018 को अनुमोदित किया।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 3

CPAT (आयुष) प्रवेश परीक्षा–2016 हेतु नोडल केन्द्र, परीक्षा केन्द्र एवं विश्वविद्यालय प्रेक्षक के पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 27–08–2016 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या 14 में संस्तुत दरों में आवश्यकतानुसार किये गये आंशिक परिवर्तनों के कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।

संस्तुति –

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27–08–2016 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या 13 के अन्तर्गत CPAT (आयुष) प्रवेश परीक्षा–2016 हेतु कुलपति/अध्यक्ष के लिए निर्धारित पारिश्रमिक की धनराशि ₹ 75,000/- के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित पत्र से समिति अवगत हुयी तथा विचारोपरान्त कुलपति महोदय को उक्त पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। साथ ही वित्त समिति की बैठक दिनांक 27–08–2016 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या 14 के अन्तर्गत CPAT (आयुष) प्रवेश परीक्षा–2016 हेतु नोडल केन्द्र, परीक्षा केन्द्र एवं विश्वविद्यालय प्रेक्षक के पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय हेतु निर्धारित विभिन्न दरों में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के नोडल ऑफिस के अन्तर्गत नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए किये गये अधोलिखित परिवर्तनों के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी–

(a) Nodal Office Remuneration में एक अतिरिक्त बिन्दु निम्नानुसार जोड़ा जाना–

Sl. No.	Category	Remuneration inclusive of Conveyance Charges	Norms
7.	Centre Representative (DM's Nominee Class A or B Officers)	Rs. 2,000/- (1,000/- + 1,000/- For Vehicle)	One for each Centre.

(b) Examination Centre Remuneration में बिन्दु 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाना–

Sl. No.	Category	Remuneration inclusive of Conveyance Charges	Norms
4.	CLASS-III EMPLOYEES	700/- (500/- + 200/- Fix Conveyance for two days), i.e., Rs. 700/- as total to each.	UP TO 250 Candidates -Two UP TO 500 Candidates -Three UP TO 1000 Candidates -Four

(c) Examination Centre Remuneration में से अधोलिखित बिन्दु को हटाया जाना–

Sl. No.	Category	Remuneration inclusive of Conveyance Charges	Norms
6.	Vehicle for Examination centers	Rs. 1500/- for each vehicle	There will be provision of one vehicle for each center to carry confidential materials from **along with CS and Observers** from Treasury/Bank to center and then from center to Nodal Office after the examination on 25.09.2016.

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 4

मानविकी संकाय हेतु स्थायी अग्रिम की सीमा ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 04–10–2016 की सूचना।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त मानविकी संकाय हेतु स्थायी अग्रिम की सीमा ₹ 10,000/- किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति प्रदान की कि स्थायी अग्रिम से संकायों द्वारा संकाय भवन के बल्ब, टोटी तथा स्टेशनरी/टोनर/कार्ट्रिज आदि से सम्बन्धित व्यय भी आवश्यकतानुसार वहन किये जायेंगे। इसके साथ ही अन्य संकायों से स्थायी अग्रिम की सीमा में वृद्धि सम्बन्धी मांग–पत्र प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लेने हेतु समिति ने कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 5

रेमेडियल कोचिंग (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) का भुगतान ₹ 48,600/- बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आय से किये जाने के फलस्वरूप उक्त की प्रतिपूर्ति सामान्य मद से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचार विमर्श के उपरान्त रेमेडियल कोचिंग (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) का भुगतान ₹ 48,600/- बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आय से किये जाने के फलस्वरूप उक्त की प्रतिपूर्ति सामान्य मद से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव से सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 6

"एम0फिल्0 (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम के शुल्क वृद्धि के संदर्भ में" विषयक अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग के पत्र संख्या 526, दिनांक 09–01–2017 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त राजनीतिशास्त्र विभाग में संचालित एम0फिल्0(स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 20,000/- (प्रतिवर्ष) तथा अन्य विभागों में संचालित एम0फिल्0(स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 15,000/- (प्रतिवर्ष) निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 7

एम0फिल्0–राजनीतिशास्त्र (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम मद में धनाभाव के कारण संविदा अध्यापकों के लम्बित वेतन के भुगतान पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने एम0फिल्0–राजनीतिशास्त्र (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम में धनाभाव के कारण संविदा अध्यापकों के सम्प्रति लम्बित वेतन के अद्यतन भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि सामान्य मद से ऋणस्वरूप प्रदान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। साथ ही भविष्य के वेतन का भुगतान तथा ऋण की वापसी आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली शुल्क आय से किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 8

छात्रसंघ कार्यालय हेतु स्वीकृत स्थायी अग्रिम ₹ 2,000/- के अनुमोदन पर विचार।

संस्तुति –

समिति द्वारा छात्रसंघ कार्यालय हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 2,000/- के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति प्रदान की गयी कि उक्त व्ययभार छात्रसंघ मद से वहन किया जायेगा।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 9

श्रीमती सिन्नी कुमारी, सहायक अध्यापिका, ज्ञानचन्द मंदित बाल विद्यालय, समाजकार्य संकाय, के ''वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में'' विषयक पत्र दिनांक 07 नवम्बर, 2016 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने परीक्षणोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 10

परीक्षा गोपनीय (अति गोपनीय) में डाक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 20,000/- स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा गोपनीय (अति गोपनीय) में डाक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 20,000/- स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 11

श्री विवेकानन्द दूबे, परिचर, गंगापुर परिसर से वाहन चालक का कार्य लिये जाने के कारण विश्वविद्यालय के अन्य वाहन चालकों की भांति प्रतिमाह निर्धारित धनराशि का भुगतान गंगापुर परिसर मद से किये जाने पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त परिचर से वाहन चालक का अतिरिक्त कार्य लिये जाने की स्थिति में ₹ 1,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान गंगापुर परिसर स्ववित्तपोषित मद से किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 12

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2016 में अध्यक्ष की अनुमति से निश्चय संख्या–03 के अन्तर्गत रेमेडियल कोचिंग संचालन हेतु विश्वविद्यालय मद से रू0 20,000/– प्रतिमाह की दर से अधिकतम रू0 60,000/– स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी सन्दर्भ पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2016 में अध्यक्ष की अनुमति से निश्चय संख्या–03 के आलोक में रेमेडियल कोचिंग संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/उत्तर प्रदेश शासन से धन प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय मद से ₹ 20,000/- प्रतिमाह की दर से अधिकतम ₹ 60,000/- स्वीकृत किये जाने सहमति प्रदान की।

कार्यसूची का बिन्दु संख्या – 13

गंगापुर परिसर हेतु संविदा के आधार पर पदसृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त गंगापुर परिसर में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु अधोलिखित विवरणानुसार संविदा के आधार पर पद सृजित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की –

विषय/पाठ्यक्रम	पद का नाम	संख्या
मनोविज्ञान	संविदा अध्यापक	02
ललित कला (मूर्तिकला)	संविदा अध्यापक	01
समाजशास्त्र	संविदा अध्यापक	01

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु –

बिन्दु संख्या –1

विभिन्न शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने वित्त अधिकारी, उपकलुसचिव (प्रशासन) तथा वित्त एवं लेखाधिकारी (क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय) की संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए तथा विभिन्न शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के आवेदनों के आलोक में विचारोपरान्त अधोलिखित संस्तुतियां प्रदान कीं–

क) *स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढांचे में पुनर्गठन के माध्यम से पर्याप्त संसाधन जुटाये जाने के उपरान्त कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।*

ख) *श्री लक्ष्मण झा, सेवानिवृत्त क्लीनिक सहायक के पारिश्रमिक में वृद्धि से असहमति प्रदान की गयी।*

ग) *मुख्य गृहपति कार्यालय एवं छात्रावास कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों के समान मानदेय और सी0पी0एफ0/ई0पी0एफ0 की सुविधा दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।*

घ) *श्री विजय बहादुर मौर्य व अन्य को छठां वेतनमान प्रदान किये जाने से असहमति प्रदान की गयी।*

ड.) *श्री संजय कुमार सिंह व अन्य को वेतन में वृद्धि प्रदान किये जाने से असहमति प्रदान की गयी।*

च) *श्री सत्यप्रकाश विश्वकर्मा व अन्य सदृश्य कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जा रहा है, के वेतन में 25% की वृद्धि किये जाने हेतु सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि एतद्द्वारा निर्धारित वेतन की दर श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भविष्य में पुनरीक्षित दरों से कम होने की स्थिति में जो अधिक हो (Which ever is more), उसी दर से भुगतान किया जाय तथा इसे भविष्य के लिए उदाहरण न समझा जाय।*

छ) *कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के आदेशों के क्रम में विश्वविद्यालय में नियत संविदा मानदेय, स्थिर वेतन एवं अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्हें पूर्व से सी0पी0एफ0 की सुविधा प्रदान की गयी है अथवा नहीं की गयी है, को ई0पी0एफ0 की सुविधा प्रदान किये जाने तथा सी0पी0एफ0 में कटौती की गयी धनराशि ई0पी0एफ0 में जमा कराये जाने विषयक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव कार्यपरिषद् के निर्णयार्थ अग्रसारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।*

बिन्दु संख्या –2

अतिथि गृह के स्थायी अग्रिम की धनराशि ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- किये जाने पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अतिथि गृह हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –3

खिलाड़ियों तथा कोच/मैनेजर आदि से सम्बन्धित विभिन्न मदों तथा पुरस्कार आदि की दरों में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी सचिव/उपाध्यक्ष, खेलकूद परिषद् के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

क) *समिति ने विचारोपरान्त पूर्वी क्षेत्र एवं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग से सम्बन्धित विविध दरों में अधोलिखित विवरणानुसार संशोधन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की–*

विवरण	वर्तमान की दरें	एतद्द्वारा संशोधित दरें

किट्स (पूर्वी क्षेत्र एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु)	₹ 600/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 800/- (प्रति खिलाड़ी)
ट्रैक सूट (पूर्वी क्षेत्र एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु)	₹ 1,200/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 1,800/- (प्रति खिलाड़ी)
टीम मैनेजर, टीम कोच, पर्यवेक्षक, चयनकर्त्ता, निर्णायक का मानदेय	₹ 400/- (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	₹ 600/- (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)
मैच के पश्चात् जलपान	₹ 25/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 50/- (प्रति खिलाड़ी)
हॉकी व फुटबॉल हेतु मोजा	- - - -	₹ 200/- (प्रति खिलाड़ी)

ख) समिति ने विचारोपरान्त पूर्वी क्षेत्र एवं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की दरों में अधोलिखित विवरणानुसार संशोधन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की–

विवरण	वर्तमान की दरें	एतद्द्वारा संशोधित दरें
टीम स्पर्द्धाओं हेतु		
पूर्वी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान	₹ 3,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 4,000/- (प्रति खिलाड़ी)
पूर्वी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान	₹ 2,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 3,000/- (प्रति खिलाड़ी)
पूर्वी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान	₹ 1,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 2,000/- (प्रति खिलाड़ी)
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान	₹ 4,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 6,000/- (प्रति खिलाड़ी)
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान	₹ 3,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 5,000/- (प्रति खिलाड़ी)
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान	₹ 2,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 4,000/- (प्रति खिलाड़ी)
एकल स्पर्द्धाओं हेतु		
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान	₹ 10,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 20,000/- (प्रति खिलाड़ी)
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान	₹ 8,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 15,000/- (प्रति खिलाड़ी)
अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान	₹ 5,000/- (प्रति खिलाड़ी)	₹ 10,000/- (प्रति खिलाड़ी)

बिन्दु संख्या –4

ललित कला विभाग में संचालित एम0एफ0ए0 स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में नियुक्त श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा से माह नवम्बर, 2016 से एम0फिल्0 व पी0जी0डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन पाठ्यक्रमों का कार्य लिये जाने के फलस्वरूप **₹ 6,000/-** मासिक भुगतान सम्बन्धित पाठ्यक्रम से किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 1109/17, दिनांक 20/02/2017 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त प्रस्ताव से असहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –5

ललित कला विभाग में संचालित पी0जी0डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 25,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 1118/17, दिनांक 07.03.2017 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त ललित कला विभाग में संचालित पी0जी0डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 20,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –6

ललित कला विभाग में संचालित एम0एफ0ए0 पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 30,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 1119/17, दिनांक 07.03.2017 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त ललित कला विभाग में संचालित एम0एफ0ए0 (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 30,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –7

सम्बद्धता विभाग हेतु स्थायी अग्रिम की सीमा ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 20,000/- किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बद्धता विभाग हेतु स्थायी अग्रिम ₹ 5,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –8

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नपत्र तैयार करने का पारिश्रमिक ₹ 50 प्रति प्रश्न अधिकतम ₹ 5,000/- प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित किये जाने पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नपत्र तैयार करने का पारिश्रमिक ₹ 50 प्रति प्रश्न अधिकतम ₹ 5,000/- प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –9

श्री वागेश कुमार त्रिपाठी व अन्य वाहन चालकों के EPF/CPF कटौती सम्बन्धी पत्र दिनांक 28–02–2017 पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या 1 के क्रमांक (छ) में प्रदान की गयी संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –10

रोवर्स/रेंजर्स नियमावली के प्रारूप पर विचार।

संस्तुति –

समिति द्वारा विचारोपरान्त रोवर्स/रेंजर्स के सम्बन्ध में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के आधार पर तैयार की गयी नियमावली से इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति प्रदान की गयी कि उक्त हेतु कार्यालय सहायक, लेखा सहायक एवं परिचर का कोई पद अतिरिक्त रूप से सृजित नहीं किया जायेगा। उक्त से सम्बन्धित विश्वविद्यालय कर्मचारियों से ही अतिरिक्त कार्य के रूप में रोवर्स/रेंजर्स के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।

बिन्दु संख्या –11

कर्मचारियों को होली तथा दशहरा/दीपावली पर भुगतान किये जाने वाले त्यौहार अग्रिम के सम्बन्ध में सम्परीक्षा आपत्तियों के क्रम में विचार।

संस्तुति –

समिति ने वेतन से कटौती कर लिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से भुगतान किये जा रहे त्यौहार अग्रिम से सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –12

विश्वविद्यालय के एन0टी0पी0सी0 परिसर एवं गंगापुर परिसर में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सहायक कुलसचिव अथवा उपकुलसचिव के सदृश पद सृजित करने एवं उनके पारिश्रमिक निर्धारण विषयक कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त केन्द्रीयत सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा के आधार पर तैनाती किये जाने की स्थिति में ₹ 25,000/- प्रतिमाह स्थिर मानदेय निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –13

श्री विदुर लाल श्रीवास्तव (अधीक्षक), श्री कैलाश नाथ सिंह (वरिष्ठ सहायक), श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव (वरिष्ठ सहायक), डॉ सुरेन्द्र नाथ सिंह (सहायक कुलसचिव) एवं श्री उमाकान्त दूबे (लेखालिपिक) से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अन्तिम वेतन के आधे के बराबर नियत पारिश्रमिक पर कार्य लिये जाने सम्बन्धी कुलसचिव के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त उपरोक्त कार्मिकों से सेवानिवृत्ति के उपरान्त कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया साथ ही सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिकों (तृतीय श्रेणी) से कार्य लिये जाने की स्थिति में रिक्त पद के सापेक्ष ₹ 20,000/- प्रतिमाह स्थिर मानदेय निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –14

प्रश्नपत्रों के परिमार्जन की दर ₹ 100/- प्रति प्रश्नपत्र से बढ़ाकर ₹ 250/- प्रति प्रश्नपत्र तथा प्रयोगिक परीक्षाओं/अध्ययन समिति/शोध समिति/संकाय समिति हेतु सूक्ष्म जलपान हेतु निर्धारित व्यय सीमा ₹ 100/- प्रति प्रायोगिक परीक्षा/बैठक से बढ़ाकर ₹ 1000/- प्रति प्रायोगिक परीक्षा/बैठक किये जाने पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त प्रश्नपत्रों के परिमार्जन की दर ₹ 200/- प्रति प्रश्नपत्र तथा प्रयोगिक परीक्षाओं/अध्ययन समिति/शोध समिति/संकाय समिति हेतु सूक्ष्म जलपान हेतु निर्धारित व्यय सीमा ₹ 500/- प्रति प्रायोगिक परीक्षा/बैठक किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –15

पी0जी0डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एण्ड योग पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 12,500/- से बढ़ाकर ₹ 22,500/- किये जाने सम्बन्धी विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं योग के प्रस्ताव पर विचार।

संस्तुति –

समिति ने विचारोपरान्त विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं योग के प्रस्ताव के आलोक में पी0जी0डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एवं योग पाठ्यक्रम का शुल्क ₹ 17500/- निर्धारित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –16

संस्तुति –

समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित बैठक दिनांक 01 मार्च, 2017 तथा भवन समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

<u>निर्णयः–</u> परिषद् ने विचार–विमर्श के अनन्तर वित्त समिति की बैठक 18.03.2017 के उपर्युक्त कार्यवृत्त एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट को अनुमोदित किया।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–</u>

<u>बिन्दु सं0(01):–</u> स्व0श्यामलाल जिनका असामयिक निधन दिनांक 30.11.2016 को सेवा में रहते हुये हो गया है, की पत्नी श्रीमती धनवर्ती देवी ने अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री जगरनाथ चौधरी की नियुक्ति हेतु निवेदन किया है। श्री जगरनाथ चौधरी के मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार।

कार्य परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार श्री जगरनाथ चौधरी पुत्र स्व0श्यामलाल को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

<u>बिन्दु सं0(02):–</u> स्व0शोभनाथ जिनका असामयिक निधन दिनांक 10.12.2016 को सेवा में रहते हुये हो गया है, की पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी ने अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री मनोज कुमार चौहान की नियुक्ति हेतु निवेदन किया है। श्री मनोज कुमार चौहान के मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार।

कार्य परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार श्री मनोज कुमार चौहान पुत्र स्व0शोभनाथ को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

<u>बिन्दु सं0(03):–</u> स्व0परमात्मा प्रसाद जिनका असामयिक निधन दिनांक 06.02.2017 को सेवा में रहते हुये हो गया है, की पत्नी श्रीमती राधिका देवी ने अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री शिवजी भारद्वाज की नियुक्ति हेतु निवेदन किया है। श्री शिवजी भारद्वाज के मृतक आश्रित के रूप में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार।

कार्य परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार श्री शिवजी भारद्वाज पुत्र स्व0परमात्मा प्रसाद को तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत क0सहायक के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि 'ट्रीपल सी' प्रमाण पत्र एवं टाइप का ज्ञान एक वर्ष के भीतर प्राप्त कर विश्वविद्यालय को प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें अन्यथा की स्थिति में वेतनवृद्धि अवरुद्ध रहेगी।

ह0

कुलपति

कुलसचिव